राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

21 APR 2017

क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016–पार्ट जयपुर, दिनांक

कार्यवाही विवरण

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना दिनांक 10.05.2017 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है के संबंध में प्रारम्भिक तैयारियों, कार्य योजना पर चर्चा हेतु दिनांक 20.04.2017 को सायंकाल 5.00 बजें माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में सचिवालय बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
7. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।

बैठक में बाद चर्चा निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना दिनांक 10.05.2017 से शुरू की जाएगी व इस बाबत् कैम्प दो दिन के होगे व एक दिन यानि पहला दिन Prepatory Camp के रूप में होगा। आवश्यकतानुसार नगरपालिका/निगम एक ही दिन में एक से अधिक कैम्प लगा सकेगा। यह कैम्प 10 जुलाई 2017 तक चलेगे। तत्पश्चात कार्यालय स्तर पर जब तक अन्य कैम्प नहीं लगें, योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही निर्देशों के तहत यथावत चलती रहेगी।
2. नियंत्रण कक्ष व इसकी आवश्यक तैयारियॉं DLB/LSG स्तर पर होगी।
3. नगरीय विकास विभाग स्तर पर संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे व इस बाबत CTP Office में समन्वय, नियंत्रण व सूचना सप्रेषण बाबत आदेश जारी कर नियंत्रण कक्ष का गठन कराएंगे।
4. नगरीय विकास व LSG के पर्यवक्षेण व नियंत्रण हेतु RAS officers व विभाग स्तर के अधिकारी तथा ACTP, JS-I, II & III तथा ACTP व OSD UDH उपलब्ध हो सकेगें जो प्रत्येक अधिकारी 2 जिलों का कार्य देखेगें।
5. दिनांक 27.04.2017 को सुबह 10 बजे से 11 बजे एक घंटे की Video Conference जिला कलक्टरस के साथ मुख्य सचिव महोदय द्वारा लिया जाना प्रस्तावित किया

गया। LSG स्तर से नोटशीट चला इसका अनुमोदन मुख्य सचिव महोदय से लेकर वांछित कार्यवाही की जावें।

6. दिनांक 02.05.2017 को U.I.T. के सचिव व चैयरमेन, प्राधिकरण के चैयरमेन व सचिव तथा LSG के नगरपालिका/नगर निगम के चैयरमेन/मुख्य नगरपालिका अधिकारी आदि की ट्रेनिंग हेतु कार्यवाही स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की जावेगी।
7. अर्द्ध शासकीय पत्र के साथ निर्देशों की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग की ओर से प्रभारी सचिवगण व माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग की ओर से माननीय प्रभारी मंत्रीगण को भेजा जाएगा। LSG इस बाबत आवश्यक तैयारी करें।
8. मार्गदर्शिका के प्रकाशन जिसमे FAQS भी शामिल हो का कार्य LSG करवावें व सभी जगह भिजवावें। प्रशिक्षण बाबत प्रजेन्टेशन की सभी जगह भिजवाया जावें।
9. विधायकगण व जनप्रतिधियों (U.I.T. चैयरमेन व नगरपालिका/परिषद/नगर निगम के चैयरमेन/सभापति महापौर) को अर्द्ध शासकीय पत्र माननीय मंत्री महोदय की ओर से भेजा जावें। यह कार्यवाही स्थानीय निकाय विभाग करवावें।
10. महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश भविष्य में DLB व J.S UDH के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी हो।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

21/4/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
8. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

21/4/17
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम